98

संख्याः-1685/XIV-1/2012-5(7)/2012

प्रेषक,

डॉ0पी0एस0गुसांई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2012

विषयः- वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः-321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 तथा लेखानुदानावधि हेतु स्वीकृति सम्बन्धी आदेश संख्या- 607/XIV-1/2012 दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित **सहकारिता न्यायाधिकरण** के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में कुल धनराशि **₹35,55,000/- (रूपये पैंतीस लाख पचपन हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक बी0एम0-5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मंद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19 जून, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. 14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्रथम बार बजट व्यवस्था करायी गई है अतः वाहन के प्रतिस्थापन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके क्रय किए जाने वाले वाहन के इन्वायस के साथ धनावंटन का प्रस्ताव वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19 जून, 2012 के प्रस्तर-5 के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमशः

8. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारिता न्यायधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा:–

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	मद का नाम	वर्तमान स्वीकृति
01–	वेतन	1333
02–	मजदूरी	33
03–	महंगाई भत्ता	907
04–	यात्रा व्यय	07
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	07
06–	अन्य भत्ते	333
08–	कार्यालय व्यय	33
09–	विद्युत देय	13
10–	जलकर/जलप्रभार	07
11–	लेखन सामाग्री व फार्मों की छपाई	07
12–	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33
13–	टेलीफोन पर व्यय	33
15–	गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	53
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	233
17–	किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	167
22–	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	133
45–	अवकाश यात्रा व्यय	67
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	133
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशन्री का क्रय	13
	योग	3555

(रू0 पैंतीस लाख पचपन हजार मात्र)

3– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:–321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डॉ0पी0एस0गुसांई)
सचिव।

कृपया

संख्याः-185(1)/XIV-1/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. मा0 अध्यक्ष, सहकारिता न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Co-operative (S005)

आवंटन पत्र संख्या - 1685/xiv-1/2012-5(7)/2012

अनुदान संख्या - 018

अलोटमेंट आई डी - S1207180574

आवंटन पत्र दिनांक - 12-Jul-2012

HOD Name - Registrar Co-operative Societies (2371)

1: लेखा शीर्षक - 2425 - सहकारिता

001 - निदेशन तथा प्रशासन

00 - सहकारिता न्यायधिकरण

00 -

05 - सहकारिता न्यायधिकरण

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	667000	1333000	2000000
02 - मजदूरी	17000	33000	50000
03 - महंगाई भत्ता	453000	907000	1360000
04 - यात्रा व्यय	3000	7000	10000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3000	7000	10000
06 - अन्य भत्ते	167000	333000	500000
08 - कार्यालय व्यय	17000	33000	50000
09 - विद्युत देय	7000	13000	20000
10 - जलकर / जल प्रभार	3000	7000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	3000	7000	10000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर	17000	33000	50000
13 - टेलीफोन पर व्यय	17000	33000	50000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	27000	53000	80000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	117000	233000	350000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	83000	167000	250000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000	10000	15000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67000	133000	200000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	33000	67000	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	67000	133000	200000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	7000	13000	20000
	1780000	3555000	5335000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3555000

(डॉ0 पी0एस0गुसांई)
सचिव
सहकारिता विज्ञान प्रौद्योगिकी
एवं बायोटैक्नोलोजी
उत्तराखण्ड शासन